न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/54/2025
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/282

अपीलार्थी
श्री संजय कुमार
एडवोकेट
कोर्ट परिसर रामगढ (अलवर)–301026

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 13.08.2025
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 11.09.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन कियागया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 23.06.2025 के माध्यम से "खातेदारी पट्टा क्रमांकः पुर्न./2015/2066–71 दिनांकः 07.07.2015 ग्राम–खरखडा, तह0 नौगावां (अलवर)" संबंधी आदेश मय पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात् की सत्यप्रति आदि" 02 बिन्दुओं पर सत्यप्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु उनके पत्र सं. आर.टी.आई./2025/607 दिनांकः 03.09.2025 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपील के तथ्यों व प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधी पत्रावली तलाश किए जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं होने बाबत विनिश्चय कर सूचित किया गया है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया है जो उचित नहीं है, साथ ही अधिनियम के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।
8. प्रत्यर्थी को विनिर्दिष्ट किया जाता है कि अपील में वांछित सूचना संबंधी पत्रावली, सर्च कमेटी का गठन कर एक बार पुनःतलाश की जाकर, अपीलार्थी को तद्नुसार विनिश्चय कर पंजीकृत–पत्र के माध्यम से सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 11.09.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)